

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 166–2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2020 (KARTIKA 14, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 5th November, 2020

No. 41-HLA of 2020/92/17000.— The Haryana Accountability of Public Finances (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 41-HLA of 2020

THE HARYANA ACCOUNTABILITY OF PUBLIC FINANCES (AMENDMENT) BILL, 2020

Α

BILL

further to amend the Haryana Accountability of Public Finances Act, 2019.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Accountability of Public Finances (Amendment) Act, 2020.

Short title.

- (2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify.
- 2. In the long title of the Haryana Accountability of Public Finances Act, 2019 (hereinafter called the principal Act), for the words "auditing system", the words "internal auditing system" shall be substituted.

Amendment of long title of Haryana Act 12 of 2019.

- 3. In section 2 of the principal Act,—
 - (i) in clause (b), after the words "accountable and auditable entity", the words "subject to the internal audit" shall be added at the end;
 - (ii) in clause (c), after the words "accountable and auditable entity", the words "subject to the internal audit" shall be added at the end;
 - (iii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "internal audit" includes internal pre-audit, internal concurrent audit, internal test audit, internal special audit, internal system audit, internal performance audit and such other examination of accounts, as may be specified;";

Amendment of section 2 of Haryana Act 12

of 2019.

- (iv) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-
 - '(f) "internal concurrent audit" means a continuous internal audit of accounts of day-to-day transactions;';
- (v) in clause (i), for the words "performance audit", the words "internal performance audit" shall be substituted:
- (vi) clause (j) shall be omitted;
- (vii) in clause (k), for the words "pre audit", the words "internal pre-audit" shall be substituted:
- (viii) in clause (m), for the words "special audit", the words "internal special audit" shall be substituted;
- (ix) in clause (n), for the words "system audit", the words "internal system audit" shall be substituted;
- (x) in clause (q), for the words "test audit", the words "internal test audit" shall be substituted.

Substitution of section 3 of Haryana Act 12 of 2019.

- 4. For section 3 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:
 - "3. Internal audit of accounts.—Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and without prejudice to the powers and functions of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Central Act 56 of 1971), it shall be lawful to conduct an internal audit of accountable and auditable entity and to recover the cost of internal audit in respect of such accountable and auditable entity in such manner, as may be prescribed."

Substitution of section 4 of Haryana Act 12 of 2019.

- 5. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:
 - "4. Separation of State Internal Audit and State Accounts Wing.— (1) There shall be an Internal Audit Wing and Accounts Wing headed by the Director, Internal Audit and Director, Accounts respectively who shall work under the supervision of Administrative Secretary to Government, Haryana, Finance Department.
 - (2) The manner of internal audit and maintenance of accounts of each accountable and auditable entity or of any specific entity shall be such, as may be prescribed.".

Omission of sections 5 and 6 of Haryana Act 12 of 2019 **6.** Sections 5 and 6 of the principal Act shall be omitted.

Substitution of section 7 of Haryana Act 12 of 2019

- 7. For section 7 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:
 - "7. Liability of authority to prepare and present accounts for internal audit.—
 (1) The accounts relating to the financial year shall be prepared and presented for internal audit by the authority within three months after the end of each financial year, in such form and such manner, as may be prescribed.
 - (2) The authority shall furnish certified financial disclosure statements by the 30th June or on such date, by which the entity is mandated by any separate Act each year including details of the various bank accounts of the accountable and auditable entity along with the following,—
 - (i) public funds deposited in the various bank accounts;
 - (ii) interest thereon;
 - (iii) utilization as on date and future expenditure plan;
 - (iv) any other detail, as may be prescribed.
 - (3) The State Government may withhold release of funds to any accountable and auditable entity which fails to furnish mandated financial statement on expiry of three months from the end of financial year.
 - (4) The State Government shall take necessary action to recover the loss, as identified by the audit officer in such manner, as may be prescribed.

- (5) The authority shall check that the public funds provided to any accountable and auditable entity for a specific purpose are spent in the financial year, failing which the State Government may initiate examination into the economy, efficiency and effectiveness with which the resources have been utilized and after giving an opportunity of being heard, may-
 - (i) call for an explanation for non-utilization within the financial year;
 - (ii) call for explanation for the delay;
 - (iii) withdraw the funds allocated by the State, along with interest incurred on such funds and deposit the same in a bank account designated by the State Government.

Provided that the funds withdrawn above may be released by the State Government on submission of a request by the accountable and auditable entity along with a concrete action plan for utilization :

Provided further that no funds shall be withdrawn contrary to the provisions of the Constitution of India or any other law for the time being in force.

- 7A. Effect of issues establishing or governing accountable and auditable entity.— This Act shall be in addition to and shall not be in derogation of any issue establishing or governing the accountable and auditable entity subject to internal audit under this Act.".
- **8.** For section 8 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:–
 - "8. Power to make rules.— (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules providing for :-
 - (a) the manner to conduct internal audit and to recover the cost of internal audit under section 3;
 - (b) the manner of internal audit and maintenance of accounts under sub-section (2) of section 4;
 - (c) the form and manner for preparing and presenting the accounts for internal audit under sub-section (1) of section 7;
 - (d) the manner for recovery of loss under sub-section (4) of section 7;
 - (e) any other matter which has to be or may be prescribed by rules made under this Act.".

Substitution of section 8 of Haryana Act 12 of 2019

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

An Act to provide for accountability in the financial administration of the State by way of an efficient and effective system to facilitate accountability through appropriate accounting and **internal** auditing system in all the Departments, Boards, Corporations, Co-operative Societies, Universities, local authorities, statutory bodies, public institutions, and other authorities established, controlled or financed by the State Government, Non-Government Organizations which receive grant-in-aid or contribution from State Government and all those entities that receive public monies from the State Government in any form including organizations which receive funds from the consolidated fund of the State.

MANOHAR LAL, Chief Minister, Haryana.

Chandigarh: The 5th November, 2020.

R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 41 एच.एल.ए.

हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2020 हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व अधिनियम, 2019, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

यह अधिनियम हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा संक्षिप्त नाम । 1. (1) सकता है।

- (2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।
- हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व अधिनियम, 2019 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् शीर्ष में, "संपरीक्षा प्रणाली" शब्दों के स्थान पर, "आंतरिक संपरीक्षा प्रणाली" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

2019 के हरियाणा अधिनियम 12 के वृहत् शीर्ष का संशोधन ।

2019 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 2 का संशोधन ।

मूल अधिनियम की 2 धारा में,-3.

4.

- खण्ड (ख) में ''किसी लेखादायी तथा संपरीक्षा योग्य संस्था'' शब्दों से पूर्व ''आन्तरिक संपरीक्षा के अध्यधीन" शब्द रखे जाएंगे :
- खण्ड (ग) में ''किसी लेखादायी तथा संपरीक्षा योग्य संस्था'' शब्दों से पूर्व ''आन्तरिक (ii) संपरीक्षा के अध्यधीन" शब्द रखे जाएंगे ;
- खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--(iii)
 - ''आन्तरिक संपरीक्षा'' में शामिल हैं आन्तरिक पूर्व संपरीक्षा, आन्तरिक समवर्ती संपरीक्षा, आन्तरिक नमुना संपरीक्षा, आन्तरिक विशेष संपरीक्षा, आन्तरिक क्रमबद्ध संपरीक्षा, आन्तरिक संपादन संपरीक्षा तथा लेखों की ऐसी अन्य जांच, जो विनिर्दिष्ट की जाए ;';--
- खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु :--(iv)
 - ''आन्तरिक समवर्ती संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, दैनिक संव्यवहार के लेखों की सतत् आन्तरिक संपरीक्षा :':
- खण्ड (झ) में.''संपादन संपरीक्षा'' शब्दों के स्थान पर, ''आन्तरिक संपादन संपरीक्षा'' शब्द (v) प्रतिस्थापित किए जाएगे ;
- खण्ड (ञ) का लोप कर दिया जाएगा ; (vi)
- खण्ड (ट) में, ''पूर्व-संपरीक्षा'' शब्दों के स्थान पर, ''आन्तरिक पूर्व- संपरीक्षा'' शब्द (vii) प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- खण्ड (ड) में, ''विशेष संपरीक्षा'' शब्दों के स्थान पर,''आन्तरिक विशेष संपरीक्षा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- खण्ड (ढ) में,''क्रमबद्ध संपरीक्षा'' शब्दों के स्थान पर, ''आन्तरिक क्रमबद्ध संपरीक्षा'' शब्द (ix) प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- खण्ड (थ) में, "नमूना संपरीक्षा" शब्दों के स्थान पर, "आन्तरिक नमूना संपरीक्षा" शब्द (x) प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--''3. लेखों की आन्तरिक संपरीक्षा.– इस अधिनियम में दी गई बात के प्रतिकूल होते हुए भी तथा नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 56) की शक्तियों तथा कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी लेखादायी तथा संपरीक्षा योग्य संस्था के संबंध में ऐसी रीति. जो विहित की जाए, में किसी लेखादायी तथा संपरीक्षा योग्य संस्था की आन्तरिक संपरीक्षा का संचालन करना तथा आन्तरिक संपरीक्षा की लागत की वसुली करना विधिपूर्ण होगा ।"।

2019 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 3 का प्रतिस्थापन ।

2019 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 4 का प्रतिस्थापन ।

- 5. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "4 राज्य आन्तरिक संपरीक्षा तथा राज्य लेखा विंग का अलग होना.— (1) आन्तरिक संपरीक्षा विंग तथा लेखा विंग होंगी और उनकी अगुवाई क्रमशः निदेशक, आन्तरिक संपरीक्षा तथा निदेशक, लेखा द्वारा की जाएगी जो प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेंगी ।
 - (2) प्रत्येक लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था या किसी विशिष्ट संस्था के लेखों की आन्तरिक संपरीक्षा तथा रख–रखाव की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।"।

2019 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 5 तथा 6 का लोप । 6. मूल अधिनियम की धारा 5 तथा 6 का लोप कर दिया जाएगा ।

2019 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 7 का प्रतिस्थापन ।

- 7. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
 - "7. आन्तरिक संपरीक्षा हेतु लेखों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण का दायित्व.—(1) वित्त वर्ष से सम्बन्धित लेखे, प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद तीन मास के भीतर प्राधिकरण द्वारा आन्तरिक संपरीक्षा हेतु ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में तैयार तथा प्रस्तुत किए जाएंगे।
 - (2) प्राधिकरण, निम्नलिखित ब्यौरों के साथ—साथ लेखादायी तथा संपरीक्षा योग्य संस्था के विभिन्न बैंक खातों के ब्यौरों सिहत प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक या ऐसी तिथि जिस तक संस्था के लिए किसी पृथक् अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, को प्रमाणित वित्तीय प्रकटीकरण प्रस्तुत करेगा—
 - (i) विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई लोक-निधियां ;
 - (ii) उस पर ब्याज ;
 - (iii) उस तिथि को उपयोग तथा भावी खर्च योजना ;
 - (iv) कोई अन्य ब्यौरा, जो विहित किया जाए ।
 - (3) राज्य सरकार, किसी लेखादायी तथा संपरीक्षा योग्य संस्था, जो वित्त वर्ष के अन्त से तीन मास की समाप्ति पर अनिवार्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहती है, को जारी की गई निधियों को रोक सकती है।
 - (4) राज्य सरकार, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संपरीक्षा अधिकारी द्वारा यथा परिलक्षित हानि की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।
 - (5) प्राधिकरण, यह जांच—पड़ताल करेगा कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी लेखादायी तथा संपरीक्षा योग्य संस्था को उपलब्ध करवाई गई लोक निधियां वित्त वर्ष में खर्च कर ली गई हैं, जिसमें असफल रहने पर, राज्य सरकार मितव्ययिता, दक्षता प्रभाविता, जिनसे संसाधनों का उपयोग किया गया है, से जांच प्रारम्भ कर सकती है तथा सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद—
 - (i) वित्त वर्ष के भीतर अनुपयोग के लिए स्पष्टीकरण मांग सकती है ;
 - (ii) विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण मांग सकती है ;
 - (iii) ऐसी निधि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित राज्य द्वारा आबंटित निधि को वापस ले सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा नामित बैंक खाते में इसे जमा करवा सकती है:

परन्तु उपरोक्त वापस ली गई निधि, उपयोग के लिए निश्चित कार्य योजना सिहत लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था द्वारा निवेदन प्रस्तुत किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा जारी की जा सकती है:

परन्तु यह और कि भारत के संविधान या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई भी निधि वापस नहीं ली जाएगी।

7क. लेखादायी तथा संपरीक्षा योग्य संस्था को स्थापित या शासित करने वाले विषयों का प्रभाव.— यह अधिनियम, इस अधिनियम के अधीन आन्तरिक संपरीक्षा के अध्यधीन लेखादायी तथा संपरीक्षा योग्य संस्था को स्थापित या शासित करने के किसी विषय के अतिरिक्त होगा तथा के अल्पीकरण में नहीं होगा ।

मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— ''8. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस

अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है।

8.

2019 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 8 का प्रतिस्थापन ।

- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करने हेतु नियम बना सकती है :--
 - (क) धारा 3 के अधीन आन्तरिक संपरीक्षा के संचालन हेतु तथा लागत की वसूली हेतु रीति :
 - (ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन लेखों की आन्तरिक संपरीक्षा तथा रख—रखाव की रीति :
 - (ग) धारा ७ की उप–धारा (1) के अधीन आन्तरिक संपरीक्षा के लिए लेखों को तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप तथा रीति ;
 - (घ) धारा ७ की उपधारा (४) के अधीन हानि की वसूली के लिए रीति ;
 - (ड़) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय प्राधिकरणों, निकाय, सार्वजनिक संस्थान; और राज्य सरकार, गैर—सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित, नियंत्रित या वित्तपोषित, जो राज्य सरकार से अनुदान—सहायता या अंशदान प्राप्त करते हैं और वे सभी निकाय जो किसी भी रूप में राज्य सरकार से सार्वजनिक धन प्राप्त करते हैं वे संगठन जो राज्य के समेकित कोष से धन प्राप्त करते हैं, में उपयुक्त वैधानिक लेखा और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के माध्यम से जवाबदेही की सुविधा के लिए एक कुशल और प्रभावी प्रणाली के माध्यम से राज्य के वित्तीय प्रशासन में जवाबदेही प्रदान करने के लिए एक अधिनियम।

मनोहर लाल, मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ :

दिनांक 5 नवम्बर, 2020.

आर० के० नांदल, सचिव।

8962—H.V.S.—H.G.P. Pkl.